निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

संख्या 957 /17(मुख्य)–1(6)/वा0स्था0/स्थानान्तरण/नि0को0पें0ह0/2017 दि0 26, मई, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

वार्षिक स्थानान्तरण के संदर्भ में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 155/XXX(2)/17 – 3(2)/2006 दि0 18 मई, 2017 के साथ सपठित शासनादेश संख्या 275/XXX(2)/14 –3(2)/2006 दि0 21 मई, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्रेणी "ख" के वित्त अधिकारियों, उपकोषाधिकारियों एवं सहायक कोषाधिकारियों/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़) के वार्षिक स्थानान्तरण के लिये विकल्प निम्नवत् प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते हैं।

अधिकारी का नाम व पदनाम	विभाग/कार्यालय/जनपद जहाँ वर्तमान में तैनात है।	वर्तमान विभाग/कार्यालय में तैनाती का दिनांक	वर्तमान विभाग/कार्यालय में 31 मई,2017 तक तैनाती की कुल अवधि	विगत तीन तैनाती का विवरण				तीन इच्छित स्थान जहाँ पर स्थानान्तरण के इच्छुक है।
				स्थान का नाम	कब से	कब तक	कुल अवधि	
01	02	03	04	05	06	07	08	09

जिन अधिकारियों को एक जनपद/विभाग/कार्यालय में 03 वर्ष या इससे अधिक का समय हो गया है, वे उक्तानुसार अपना विकल्प आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगें। जिन अधिकारियों को एक स्थान/विभाग/कार्यालय में तैनाती की अवधि 03 वर्ष से कम है परन्तु वे पारिवारिक कारणों/चिकित्सा के आधार पर/पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरण के इच्छुक हों तो वे उक्त कारणों से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों को अपने विकल्प पत्र (सक्षम अधिकारी से अग्रसरित कराते हुए) के साथ आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगें। ऐसे अधिकारी विकल्प उपलब्ध कराने मात्र से इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण के हकदार नहीं होगें अपितु पद की उपलब्धता/रिक्तता को दृष्टिगत रखते हुए सम्भव होने पर विचार किया जायेगा।

ऐसे वित्त अधिकारी जो भिन्न–भिन्न विभागों में कार्यरत हैं, वह सीधे स्थानान्तरण विकल्प पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

यह कार्यालय ज्ञाप कोषागार पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। सम्बन्धित अधिकारीगण कोषागार पोर्टल के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं कोषाधिकारी अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को इस कार्यालय ज्ञाप को अपने स्तर से भी उपलब्ध करायेगे तथा स्थानान्तरण विकल्प पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विकल्प अपने स्तर से संकलित कर विशेष वाहक के माध्यम से दि0 07.06.2017 तक निदेशालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। सीधे प्राप्त विकल्प पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(एल0एन0 पन्त)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त सहायक कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी (रोकड़), उत्तराखण्ड।

(रमेश चन्द्र सेमवाल)
अपर निदेशक।